न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 17 / 2022
स्टेट जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. मोहन पुत्र रूपचंद निवासी घड़साना मण्डी जिला श्रीगंगानगर
2. विनय बंसल पुत्र अमृतलाल निवासी घड़साना मण्डी जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट
उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री रामकुमार कस्वां अभिभाषक अप्रार्थीयान।

—:निर्णयः—

दिनांकः—28.07.2025

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना पीलबंगा द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.06.22 पीलीबंगा से हनुमानगढ़ रोड़ पर थाना पीलीबंगा गोलूवाला तिराया पर नाकाबन्दी की गई, दौराने नाकाबंदी आने वाले व्हीकलो को चैकिग की जा रही थी तब हनुमानगढ़ साईड से एक पीकअप डाला आता हुआ दिखाई दिया। जिसे रूकवाया गया। पीकअप डाला के आगे पीछे नम्बर प्लेट पर नम्बर आर जे 13 जी ए 9604 अंकित है तथा पीकअप डाला के केबिन के अन्दर चालक सहित कुल दो व्यक्ति सवार है तथा चालक शीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहन पुत्र श्री रूपचन्द जाति सिन्धी व कनक्टर शीट पर बैठे व्यक्ति विनय बंसल पुत्र श्री अमृतपाल जाति बंसल निवासीगण वार्ड नं0 09 एनएस स्कूल के पास घडसाना मण्डी का होना बताया व पीकअप बोलेरो के पीछे डाला को देखा गया तो उसमें 11 ड्रम व 4 छोटी केनिया भरी हुई है तथा चालक व कनक्टर शीट पर बैठे दोनो व्यक्तियो को डाला में लादान ड्रम व केनिया में क्या भरा हुआ है बाबत पूछा तो डीजल व पेट्रोल भरा होना बताया। जिस पर उपस्थित स्टाफ की मौजूदगी में पीकअप डाला को चैक किया गया तो पीकअप डाला बरंग सफेद है जिसके आगे व पीछे नम्बर प्लेट पर नम्बर आर जे 13 जी ए 9604 अंकित है तथा पीछे का डाला खुलवाया जाकर चैक किया गया तो डाला में ड्रम व केनिया रखी हुई है। पीकअप डाला में रखे ड्रम व केनियो की गिनती की गई तो कुल 11 ड्रम पुराने इस्तेमाली व 4 केनिया है। सभी ड्रमों को अनुसंधान बॉक्स में सयंत्र से नाप तोल करने पर उपर तक 220—220 लीटर डीजल व पेट्रोल भरा हुआ है। इसी प्रकार चारो छोटी केनियो में 50—50 लीटर डीजल उपर तक भरा हुआ है तथा चालक मोहन व कनक्टर विनय द्वारा भी सभी ड्रमों में 220—220 लीटर डीजल व पेट्रोल व छोटी चार केनियो में 50—50 लीटर डीजल अवैध होना तथा ब्रिकी के लिए लाना बताया। इस प्रकार पीकअप डाला में भरे तीन ड्रमो में कुल 660 लीटर पेट्रोल व 8 ड्रमो व चार छोटी केनियों में कुल 1960 लीटर डीजल भरा हुआ है। इस प्रकार सभी ड्रमो व केनिया में कुल 2620 लीटर डीजल व पेट्रोल भरा हुआ है। इतनी मात्रा में डीजल /पेट्रोल अपने कब्जा में रखना व परिवहन करने बाबत चालक मोहन

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

व कनक्टर विनय से लाईसेन्स / परमिट बाबत पुछा तो अपने पास कोई कागजात नहीं होना बताया। इस प्रकार दोनो शख्सो मोहन व विनय का बिना लाईसेन्स परमिशन के ज्वलनशील पदार्थ अपने कब्जे में रखना ब्रिकी के उदेश्य से परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 ई.सी. एक्ट में दण्डनीय अपराध है। अतः रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश कर जब्तशुदा डीजल व पेट्रोल का नियमानुसार निस्तारण हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.2022 द्वारा जब्तशुदा वाहन पिकअप गाडी नं0 RJ-13-GA-9604 को 07 लाख की सुपुर्दगीनामा व इसी कदर राशि का जमानतनामें की सशर्तो पर थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा को नियमानुसार सुपुर्द पर दिये जाने के आदेश दिये गये थे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि पुलिस द्वारा जब्तशुदा वाहन पिकअप RJ-13-GA-9602 को डीजल व पेट्रोल से भरे हुए ड्रमों को जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में बताया गया है कि राजस्थान राज्य से बाहर जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल खरीद कर लाया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा तय किये गये आदेश नियमों की अवहेलना हुई है व राज्य सरकार के राजस्व में हानि हुई। अप्रार्थी के पास लाईसेन्स व परमिट बाबत कोई कागजात नहीं होना बताया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के इतनी मात्रा में डीजल पेट्रोल रखना व परिवहन करना दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल सुपुर्दगी पर नहीं दिया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी को वाहन पिकअप नं० आर जे 13 जी ए 9604 से केवल मात्र 8 ड्रमो में अलग अलग 1960 लीटर डीजल ही जब्त किया गया था परन्तु थाना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 11 ड्रम पुराने इस्तेमाली व 4 कैनीयों में तेल होना बताया है जो कतई गलत एवं निराधार अंकित किया है हमारे द्वारा 1960 लीटर डीजल खरीद कर लाया गया था जिसके बिल की प्रतियां उसी समय जब्त करने वाले अधिकारी को सौंप दी थी परन्तु कार्यवाही करने की मंशा बना चुके जब्ती अधिकारी ने गलत रूप से जब्ती बतायी है। उक्त डीजल 1960 लीटर डीजल अपने घरेलु कार्यों हेतु लेकर जाना कोई अपराध नहीं है। पुलिस विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार कानून के उक्त अविधिक कार्यवाही की है। जब्ती अधिकारी को उक्त डीजल अपने घरेलु उपयोग व अपने कृषि कार्यों हेतु ले जाना बता दिया था एवं 1960 लीटर डीजल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारत वर्ष मे आपराधिक कृत्य नही है ना ही इस हेतु किसी लाईसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। जब्तशुदा वाहन आता हुआ दिखाई व रूकवा कर तलाशी ली तो अवैध भंडारण अथवा कारोबार करने का तथ्य केवल मात्र क्यास के आधार पर अंकित किये है व अवैध रूप से बिना अधिकार के अपने पद का दुरूप्योग कर आम जन को परेशान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं भारत सरकार के नियमो को अनदेखा करते हुए उक्त जब्ती की कार्यवाही की जो काबिल खारिजी के है। माननीय राज० उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कमीनीयल एसबी मिसलेनीयस रिट पेटी०शन नं० 1206/2016 में पारित आदेश दिनांक 10–8–2017 व पेटीशन संख्या 4279/2018 ने पारित आदेश 3–1–2019 में इस तरह की कार्यवाहीयों को गलत मानते हुए जब्त डीजल वापिस शास्ती सहित दिलवाने के आदेश दिये है। हम अप्रार्थीगण ने किसी भी नियम अथवा कानून का उल्लंघन नही किया है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

डीजल परिवहन करने की छूट दी गई है तथा वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। जब्ती अधिकारी ने अपने पद का दुरुप्योग कर अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की है। डीजल का बिल मौका पर ही जब्ती अधिकारी को दिखा दिया था एवं समस्त तथ्यों से अवगत करवा दिया था कि 1960 लीटर डीजल अपने घर अथवा कृषि भूमि पर लेकर जाना कोई अपराध नहीं है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नोटिस हाजा की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जाकर उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जावे एवं हम अप्रार्थीगण से जब्त शुदा 1960 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम हम अप्रार्थीगण को सौंपने के आदेश फरमाये जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीवंगा द्वारा अप्रार्थी मोहन पुत्र रूपचंद व विनय बंसल पुत्र अमृतलाल से 8 ड्रमों में डीजल, 3 ड्रमों में पेट्रोल प्रत्येक में 220 लीटर व 4 केनियो में डीजल जिनमें प्रत्येक में 50 लीटर डीजल भरा हुआ जब्त किया गया है। इस प्रकार 11 ड्रमों व 4 केनियो में 1960 लीटर डीजल एवं 660 लीटर पेट्रोल कुल 2620 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा जब्त किया गया। सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीयान द्वारा उक्त दिनांक के जब्तशुदा डीजल व पेट्रोल के बिल प्रस्तुत किये गये है।
2. पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर तक एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है परन्तु अप्रार्थीयान द्वारा 2500 लीटर से अधिक डीजल का परिवहन किया गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। न ही जांच के वक्त लाईसेन्स / परमिट की कॉपी पेश की।

अतः जब्तशुदा 8 ड्रमों में प्रत्येक में 220 लीटर डीजल व 4 केनीयो जिनमें प्रत्येक में 50 लीटर डीजल, 3 ड्रमों में प्रत्येक में 220 लीटर पेट्रोल इस प्रकार 11 ड्रमों व 4 केनियों में कुल 2620 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है। पुलिस परिवाद में अंकित वाहन पिकअप गाडी नं0 RJ-13-GA-9604 को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जब्तशुदा का अंतिम निस्तारण न्यायिक न्यायालय (Judicial Court) के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा 11 ड्रमों व 4 केनियों में कुल 2620 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़